[2021] 4 एस. सी. आर. 430

प्रमुख सामान्य प्रबंधक (आई. पी. सी)

एम. पी. पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर.

वी.

नर्मदा इक्विपमेंट्स पी. वी. टी. लिमिटेड

(2021 की सिविल अपील संख्या 1051)

23 मार्च, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, एम. आर. शाह

और संजीव खन्ना, जे. जे.]

मध्यस्थताः मध्यस्थ की नियुक्ति-मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड ने बिजली खरीद समझौता (पी. पी. ए.) किया 1999 में प्रतिवादी के साथ-पी. पी. ए. को 2001 में समाप्त कर दिया गया था-उच्च

न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया

पी. पी. ए. में निहित मध्यस्थता खंड-2011 में, प्रतिवादी ने पी. पी. ए. में निहित मध्यस्थता का आह्वान करते हुए बोर्ड को नोटिस जारी किया।

चूंकि कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए प्रत्यर्थी ने एस के तहत आवेदन दायर किया। 11 (6) मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एसी अधिनियम-उच्च न्यायालय ने अनुमति दी

अपीलार्थी की याचिका को अस्वीकार करने वाला आवेदन कि

एस के प्रावधान। 86 (1) (च) विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, यह राज्य विद्युत आयोग था जिसके पास विशेष अधिकार थे -

लाइसेंसधारियों और उत्पादन करने वाली कंपनियों के बीच विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि विशेष कानून सामान्य कानून को ओवरराइड करता है - 2003 अधिनियम की धारा 86 (1) (च) एक विशेष प्रावधान है और इसलिए इसमें सामान्य प्रावधान को ओवरराइड करेगा।

एस। 11 लाइसेंसधारक के बीच विवादों के मध्यस्थता के लिए एसी अधिनियम

और उत्पादन करने वाली कंपनियां-इसलिए, एसी अधिनियम की धारा 11 में कोई नहीं है

लाइसेंसधारियों और उत्पादन करने वाली कंपनियों के बीच विवाद, और केवल एस। 86 (1) (च) ऐसी स्थिति में लागू होगा-मध्यस्थता और

सुलह अधिनियम, 1996 - धारा 11 (6)-विद्युत अधिनियम, 2003 - धारा 86 (1) (च)।

अधिकार क्षेत्रः अधिकारिता की सहमति से ग्रहण नहीं किया जा सकता है

पक्षकार-यदि अधिकारिता की अंतर्निहित कमी है, तो याचिका किसी भी स्तर पर और संपार्श्विक कार्यवाही में भी ली जा सकती है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. वर्तमान मामले में, पी. पी. ए. के खंड 12.3 के तहत मध्यस्थता शुरू करने के लिए नोटिस जारी किया गया था

430 सी. जी. एम. (आई. पी. सी.) एम. पी. पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड बनाम। नर्मदा इक्विपमेंट्स पी. वी. टी. लिमिटेड

30 मई 2011 को प्रतिवादी। मध्यस्थता की शुरुआत

इसलिए, मध्यस्थता समझौते के आह्वान द्वारा कार्यवाही 30 मई 2011 से संबंधित होगी, जब खंड 12.3 का आह्वान करने वाला नोटिस जारी किया गया था। इसलिए, यह तथ्य कि पी. पी. ए. और समाप्ति की सूचना 2003 के अधिनियम से पहले की है, भौतिक परिस्थितियों का गठन नहीं करेगा। 1996 के अधिनियम की धारा 21 में निर्दिष्ट किया गया है कि जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, तब तक किसी विशेष विवाद के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही उस तारीख से शुरू होगी जिस दिन उस विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध किया जाता है।

उत्तरदाता द्वारा प्राप्त किया गया। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि 30 मई 2011 भौतिक तिथि होगी, क्योंकि इसी तारीख को खंड 12.3 का आह्वान करने वाला नोटिस जारी किया गया था। अपीलार्थी का प्रत्यर्थी। [पैरा 9] [434-जी-एच; 435-ए-सी]

2. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड बनाम। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और एनएचएआई बनाम। सैयदाबाद टी कंपनी लिमिटेड, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 2003 के अधिनियम की धारा 86 (1) (च) एक विशेष प्रावधान है जो अधिनियम की धारा 11 में निहित सामान्य प्रावधानों को ओवरराइड करता है। 1996 एक्ट करें। धारा 86 (1) (च) राज्य विद्युत आयोग के बीच विवादों पर निर्णय लेने के लिए एक वैधानिक अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है।

अनुज्ञप्तिधारी और उत्पादन करने वाली कंपनियाँ और किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना। "और" "उत्पादक कंपनियों के बीच" और "" मध्यस्थता के लिए किसी भी विवाद को संदर्भित करने के लिए "को" या "के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि राज्य विद्युत आयोग स्पष्ट रूप से समाधान नहीं कर सकता है।

स्वयं विवाद करें और इसे मध्यस्थता के लिए भी संदर्भित करें। 2003 के अधिनियम की धारा 174 2003 के अधिनियम को ओवरराइडिंग प्रभाव प्रदान करती है।

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इसके द्वारा प्रभावी किसी लिखत में कुछ भी असंगत होने के बावजूद 2003 के अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून का गुण। [पैरा 10,11 और 12] [436-डी-एफ; 437-ए-बी]

3. यह हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बनाम में आयोजित किया गया था। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने कहा कि यदि अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित कमी है, तो याचिका को किसी भी स्तर पर और संपार्श्विक रूप में भी लिया जा सकता है

कार्यवाही। विषय वस्तु अधिकारिता के बिना एक अदालत द्वारा पारित एक डिक्री एक अमान्यता है, और यह कि इसकी अयोग्यता को जब भी और जहां भी लागू करने या उस पर भरोसा करने की मांग की जाती है, स्थापित किया जा सकता है। अधिकार क्षेत्र के इस तरह के दोष को सहमति [2021] 4 एस. सी. आर. द्वारा भी ठीक नहीं किया जा सकता है।

दलों से। यह उक्ति वर्तमान मामले में लागू होगी। उच्च न्यायालय का एक मध्यस्थ नियुक्त करने का आदेश 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) अस्थिर है। [पैरा 14 और 15] [438-बी-डी]

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बनाम। अजमेर विद्युत वितरण निगम

लिमिटेड (2019) 17 एससीसी 82: [2019] 15 एस. सी. आर. 113; एनएचएआई

वी. सैयदाबाद टी कंपनी लिमिटेड (2020) 15 एस. सी. सी. 161

: [2019] 11 इसके बाद एस. सी. आर. 725 आया।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 15 एससीआर 113

पीछा किया।

पै

रा 10

[2019] 11 एससीआर 725

पीछा किया।

पै

रा 10

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1051

2021 से।

उच्च न्यायालय के 30.11.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2015 के ए. सी. नं. 1 में जबलपुर में मध्य प्रदेश का।

वरुण के चोपड़ा, गुरतेजपाल सिंह, एम/एस। वी. के. सी. विधि कार्यालय, अधिवक्ता।

अपीलार्थियों के लिए।

संजय के. अग्रवाल, सार्थक नेमा, सुश्री अंकिता खरे, जे. के. पिल्लई,

अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील एक विद्वान के निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश दिनांक 30 नवंबर

2016 जहां उसने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 11 (6) के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर एक आवेदन 1 में पक्षों के बीच विवाद में एक मध्यस्थ नियुक्त किया।

3. इस मामले की उत्पत्ति तब से हुई जब मध्य प्रदेश

विद्युत बोर्ड 3 ने 20 मई 1999 को प्रत्यर्थी के साथ बिजली खरीद समझौता किया। पी. पी. ए. के तहत, प्रत्यर्थी को

1 " 2015 का ए. सी. नंबर 1 "

2 " 1996 अधिनियम "

3 " बोर्ड "

4 " पी. पी. ए. सी. जी. एम. (आई. पी. सी.) एम. पी. पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड बनाम। नर्मदा इक्विपमेंट्स पी. वी. टी. लिमिटेड [डी. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

एक निर्मित और संचालित आधार पर एक लघु पनबिजली परियोजना स्थापित करें। हालाँकि, पी. पी. ए. को 27 सितंबर 2001 को बोर्ड द्वारा समाप्त कर दिया गया था। प्रतिवादी ने शुरू में पी. पी. ए. की समाप्ति को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने 4 नवंबर 2009 के अपने आदेश द्वारा मध्यस्थता समझौते को देखते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पी. पी. ए. के खंड 12.36 में निहित है। इसके बाद, प्रतिवादी ने एक याचिका दायर की

समीक्षा याचिका 'जिसे उच्च न्यायालय ने 10 दिसंबर 2009 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया था।

4. 4 नवंबर 2009 और 10 दिसंबर 2009 के आदेशों के परिणामस्वरूप, 28 दिसंबर 2009 को, प्रतिवादी ने एक

पी. पी. ए. के खंड 12.1 के तहत बोर्ड को नोटिस, जिसमें आपसी चर्चा द्वारा विवाद को हल करने की मांग की गई है। चूंकि प्रतिवादी को बोर्ड से 28 दिसंबर 2009 के नोटिस का जवाब नहीं मिला था, इसलिए 30 मई 2011 को प्रतिवादी ने बोर्ड को एक और नोटिस जारी किया।

पी. पी. ए. के खंड 12.3 के तहत मध्यस्थता। नोटिस में, प्रतिवादी उन्होंने कहा कि यदि बोर्ड नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर उस पर कार्रवाई नहीं करता है, तो वह 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा।

मध्यस्थ की नियुक्ति। उच्च न्यायालय ने 21 जनवरी 2014 के अपने आदेश में दर्ज किया कि प्रत्यर्थी और अपीलार्थी ने सहमति व्यक्त की थी अपने मध्यस्थों को नामित करें और कहा कि दोनों मध्यस्थ पी. पी. ए. के खंड 12.3 (ए) की प्रक्रिया के अनुसार तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आगे बढ़ेंगे। नामित मध्यस्थों ने अपना पहला फैसला किया

5 " 2002 का डब्ल्यूपी सं. 2642 "

6 " 12.3 मध्यस्थताः (क) यदि विवाद को तीस (30) दिनों के भीतर नहीं सुलझाया जा सकता है, क्योंकि धारा 12 द्वारा (एस. आई. सी.) पारस्परिक चर्चा और (एस. आई. सी.) सुलह के लिए पार्टियों द्वारा धारा 12.2 के अनुसरण में नहीं चुना जाता है, यदि कोई पक्ष धारा 12.2 के अनुसार अनुरोध करता है, तो विवाद का निपटारा दो मध्यस्थों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अंपायर द्वारा किया जाएगा, एक बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा और दूसरा भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के कंपनी प्रावधानों द्वारा या कोई भी अधिनियम जो उक्त अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है) ऐसे मध्यस्थ में लागू होगा। मध्यस्थता की कार्यवाही बोर्ड के मुख्यालय यानी जबलपुर में आयोजित की जाएगी। (ख) प्रदान किया गया पुरस्कार मध्यस्थता की लागत को विभाजित करेगा।

(ग) इसके तहत किसी भी मध्यस्थता में दिया गया पुरस्कार अंतिम निर्णायक होगा और पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा और पुरस्कार अनुच्छेद 15.1 के तहत अधिकारिता वाले किसी भी न्यायालय में दर्ज किया जा सकता है। 7 " 2009 की समीक्षा याचिका संख्या 716 "8" 2011 की अधिनियम संख्या 76 "[2021] 4 एस. सी. आर.

7 मई 2014 को बैठक हुई, जब दोनों पक्ष उपस्थित हुए और मध्यस्थों का शुल्क तय किया गया। हालाँकि, मध्यस्थों ने 7 जुलाई 2014 के एक पत्र द्वारा इस आधार पर मध्यस्थता कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने में अपनी असमर्थता को उजागर किया कि उनकी फीस का भुगतान नहीं किया गया था।

6. इसके बाद, प्रत्यर्थी ने 8 दिसंबर 2014 को 2015 का एसी नंबर 1 दायर किया, जिसमें धारा 11 (6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की गई। 1996 का अधिनियम। अपीलार्थी द्वारा इस आवेदन का इस आधार पर विरोध किया गया था कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 (1) (च) के प्रावधानों को देखते हुए, यह राज्य विद्युत आयोग था जो

8. प्रस्तुतियों का विरोध करते हुए, प्रतिवादी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील, श्री संजय के. अग्रवाल ने हालांकि आग्रह किया कि गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा क्योंकि पीपीए को 20 मई 1999 को निष्पादित किया गया था और बोर्ड द्वारा 27 सितंबर 2001 को समाप्त किया गया था; ये दोनों घटनाएं 2003 के प्रवर्तन से पहले हुई हैं। 10 जून 2003 को अधिनियम। यह भी आग्रह किया गया कि अपीलार्थी ने 2003 के अधिनियम की धारा 86 (1) (च) से उपजी अपनी आपत्ति नहीं उठाई जब -

9 " 2003 अधिनियम " 10 (2008) 4 एस. सी. सी. 755, जिसे इसके बाद "गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड" सी. जी. एम. के रूप में संदर्भित किया गया है। (आई. पी. सी.) एम. पी. पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड v.

नर्मदा इक्विपमेंट्स पी. वी. टी. लिमिटेड [डी. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

2011. इसलिए, मध्यस्थता समझौते के आह्वान द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही की शुरुआत 30 मई 2011 से संबंधित होगी, जब खंड 12.3 का आह्वान करने वाला नोटिस जारी किया गया था। इसलिए, यह तथ्य कि पी. पी. ए. और समाप्ति की सूचना 2003 के अधिनियम से पहले की है, भौतिक परिस्थितियों का गठन नहीं करेगा। 1996 के अधिनियम की धारा 21 1 1 में निर्दिष्ट किया गया है कि जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, तब तक किसी विशेष विवाद के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही उस तारीख से शुरू होगी जिस दिन उस विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्रतिवादी द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि 30 मई 2011 भौतिक तिथि होगी, क्योंकि इसी तारीख को खंड 12.3 का आह्वान करने वाला नोटिस प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को जारी किया गया था।

10. इस अपील में उठाया गया पहला मुद्दा गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (उपरोक्त) द्वारा शासित है। इस मामले में, शक्ति

पक्षों के बीच खरीद समझौता 30 मई 1996 को किया गया था, और विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने का नोटिस 14 नवंबर 2005 को एक पक्ष द्वारा भेजा गया था। दूसरे पक्ष ने यह कहते हुए नोटिस का विरोध किया कि राज्य विद्युत आयोग के पास 2003 के गुजरात उच्च न्यायालय की धारा 86 (1) (एफ) के अनुसार विशेष अधिकार क्षेत्र था, जिसके बाद एक आवेदन में मध्यस्थ नियुक्त किया गया था 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत, जिसे इस न्यायालय के समक्ष विवादित किया गया था। दो-न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू ने फैसले के पैराग्राफ 26,27 और 28 में कानून की स्थिति का निपटारा किया, जो संदर्भ की सुविधा के लिए नीचे दिए गए हैं:

" 26. यह ध्यान दिया जा सकता है कि 2003 के अधिनियम की धारा 86 (1) (च) लाइसेंसधारी के बीच विवादों के निर्णय के लिए एक विशेष प्रावधान है।

और उत्पादन करने वाली कंपनियाँ। इस तरह के विवादों पर या तो राज्य आयोग या उस व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा निर्णय लिया जा सकता है जिसे इसे मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है। हमारी राय में धारा 86 (1) (च) में "उत्पादक कंपनियाँ" और "मध्यस्थता के लिए किसी भी विवाद को संदर्भित करने" शब्दों के बीच "और" शब्द का अर्थ है "या"। यह अच्छी तरह से तय है कि कभी-कभी "और" का अर्थ हो सकता है "या" और कभी-कभी "या"

इसका अर्थ "और" हो सकता है (जी. पी. सिंह के सांविधिक सिद्धांतों के अनुसार)

व्याख्या, 9 वीं संस्करण। , 2004 , पी। 404) .
27. बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1) (च) में हमारी राय में

11 " 21. मध्यस्थता कार्यवाही की शुरुआत। - जब तक कि पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, किसी विशेष विवाद के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही उस तारीख से शुरू होती है जिस दिन प्रतिवादी द्वारा उस विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्राप्त किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"उत्पादक कंपनियाँ" शब्दों के बीच "और" शब्द

"किसी भी विवाद को संदर्भित करें" शब्दों का अर्थ है "या", अन्यथा यह नेतृत्व करेगा।

एक विसंगत स्थिति के लिए क्योंकि स्पष्ट रूप से राज्य आयोग

मध्यस्थ। इसलिए धारा 86 (1) (च) में "और" शब्द का अर्थ है "या"। 28. धारा 86 (1) (च) एक विशेष प्रावधान है और इसलिए यह ओवरराइड होगी।

मध्यस्थता की धारा 11 में सामान्य प्रावधान और

के बीच विवादों के मध्यस्थता के लिए सुलह अधिनियम, 1996 लाइसेंसधारी और उत्पादन करने वाली कंपनियाँ। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि विशेष

कानून सामान्य कानून पर हावी हो जाता है। इसलिए, हमारी राय में, धारा 11

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 का कोई अनुप्रयोग नहीं है -

वह प्रश्न जो दोनों के बीच विवादों का निर्णय/मध्यस्थता कर सकता है लाइसेंसधारी और उत्पादन करने वाली कंपनियाँ, और केवल धारा 86 (1) (च)

ऐसी स्थिति में लागू होगा।

इस स्थिति को बाद में दो तीन ने भी मंजूरी दी है।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड बनाम अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 1 2 और एन. एच. ए. आई. बनाम सैयदाबाद चाय कंपनी मामले में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ

सीमित 1 3 13।

11. उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है

कि 2003 के अधिनियम की धारा 86 (1) (च) एक विशेष प्रावधान है जो 1996 के अधिनियम की धारा 11 में निहित सामान्य प्रावधानों को ओवरराइड करता है। अनुभाग

86 (1) (च) राज्य विद्युत आयोग के पास एक वैधानिक अधिकार क्षेत्र निहित है।

लाइसेंसधारियों और उत्पादन करने वाली कंपनियों के बीच विवादों पर निर्णय लेना और किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना। "और" "उत्पादक कंपनियों के बीच" और "" मध्यस्थता के लिए किसी भी विवाद को संदर्भित करने "को" या "के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि राज्य विद्युत आयोग स्पष्ट रूप से विवाद को स्वयं हल नहीं कर सकता है और इसे मध्यस्थता के लिए भी संदर्भित नहीं कर सकता है। धारा 86 (1) (च) नीचे दी गई है:

" 86. राज्य आयोग के कार्य। (1) राज्य ने

आयोग निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:

***

***

***

लाइसेंसधारियों के बीच विवादों पर निर्णय लेना और

(च)

उत्पन्न करने वाली कंपनियाँ और किसी भी विवाद को संदर्भित करने के लिए

मध्यस्थता; "

1 2 (2019) 17 एस. सी. सी. 82; इसके बाद, "हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड" के रूप में संदर्भित 13 (2020) 15 एस. सी. सी. 161 सी. जी. एम. (आई. पी. सी.) एम. पी. पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड बनाम।

12. 2003 के अधिनियम की धारा 174 किसी भी अन्य अधिनियम में असंगत होने के बावजूद 2003 के अधिनियम को प्रबल प्रभाव प्रदान करती है। तत्काल प्रवृत्त विधि या 2003 के अधिनियम के अतिरिक्त किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी साधन में। धारा 174 इस प्रकार प्रदान करती हैः

" 174. प्रभावी प्रभाव रखने के लिए कार्य करें। — धारा 173 में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, इस अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून में या इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभावी किसी भी लिखत में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद प्रभावी होंगे।

13. अब हम प्रत्यर्थी की ओर से उठाए गए दूसरे तर्क का उल्लेख करते हैं, कि अपीलार्थी 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत दायर दूसरे आवेदन में 2003 के अधिनियम की धारा 86 (1) (च) के आधार पर आपत्ति नहीं उठा सकता है, जब उसने 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत पहले आवेदन में या उससे पहले वही आपत्ति नहीं उठाई थी।

इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ। यह ध्यान देने योग्य है कि यह तर्क था

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा 30 नवंबर 2016 के विवादित फैसले और आदेश में निम्नलिखित शर्तों में खारिज कर दिया गया।

" 9. अगर श्री मनोज दुबे द्वारा इस आवेदन की रखरखाव के बारे में उठाई गई बुनियादी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाता है तो मैं अपने कर्तव्य में विफल रहूंगा। केवल इसलिए कि मुकदमे के पहले दौर में, रखरखाव की आपत्ति नहीं ली गई थी, यह दूसरे पक्ष को इस तरह की आपत्ति उठाने से नहीं रोकेगा यदि यह मामले की जड़ तक जाता है। यह एक साधारण कानून है जिसे पक्षों की सहमति से अधिकार क्षेत्र नहीं माना जा सकता है। यदि कोई कानून किसी आवेदन/याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करता है, तो याचिका पर किसी भी कारण से विचार नहीं किया जा सकता है।

जो भी हो। इस प्रकार, मैं यह मानने के लिए इच्छुक नहीं हूं कि चूंकि मुकदमेबाजी के पहले दौर में यानी ए. सी. No.76/2011 पक्ष मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए आम सहमति पर पहुंच गए थे, इसलिए यह आवेदन भी बनाए रखने योग्य है। मैं यह जांच करना उचित समझता हूं कि क्या 2003 के अधिनियम की धारा 174 के संचालन के कारण, 1996 के अधिनियम के तहत वर्तमान आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं है।

14. इसी तरह का मुद्दा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष उठाया गया था, जहां एक मध्यस्थ था।

राज्य विद्युत आयोग द्वारा 2003 के अधिनियम की धारा 86 (1) (च) के तहत पक्षों की सहमति से नियुक्त किया गया। इसके बाद, मध्यस्थता [2021] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पुरस्कार को 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत चुनौती दी गई थी वाणिज्यिक न्यायालय और वाणिज्यिक न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी

1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत एक अपील में जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि राज्य विद्युत आयोग को मध्यस्थ नियुक्त करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि धारा 86 (1) (च) केवल लाइसेंसधारियों और उत्पादन करने वाली कंपनियों के बीच के विवादों को संदर्भित करती है, न कि लाइसेंसधारियों और उपभोक्ताओं को। जब मामला इस न्यायालय में पहुँचा, तो तर्क यह था कि अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति

1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत किसी कार्यवाही में एक बार पक्षकारों द्वारा मध्यस्थता के लिए सहमति देने के बाद इसे नहीं उठाया जा सकता था। अदालत की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन ने कहा कि यदि अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित कमी है, तो याचिका को किसी भी स्तर पर और संपार्श्विक कार्यवाही में भी लिया जा सकता है। उन्होंने इस सुस्थापित सिद्धांत पर प्रकाश डाला कि विषय क्षेत्राधिकार के बिना अदालत द्वारा पारित एक डिक्री अमान्य है, और इसकी अयोग्यता को जब भी और जहां भी लागू करने या उस पर भरोसा करने की मांग की जाती है, स्थापित किया जा सकता है। अधिकार क्षेत्र के इस तरह के दोष को पक्षों की सहमति से भी ठीक नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त उक्ति इस पर लागू होगी

वर्तमान मामला।

15. मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, उच्च न्यायालय का आदेश

1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति अस्थिर है। हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं और 30 नवंबर को उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश को खारिज कर देते हैं।

2016 2015 के ए. सी. नंबर 1 में। हालाँकि, यह प्रत्यर्थी के रास्ते में ऐसे उपायों का सहारा लेने में नहीं आएगा जो कानून में उपलब्ध हैं। हालाँकि, हमने अपीलार्थी के गुण-दोष या आपत्तियों पर कोई राय व्यक्त नहीं की है, जिन पर आग्रह किए जाने पर उपयुक्त मंच द्वारा विचार किया जाएगा। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

16. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।